VIII/59

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 216154

NOTARY नोटरी ... am Singh Advocate Distt. H. Quarter Jaunpur R.No.27/15/99 GOVT. OF UTTAR PRADESH

जनहित एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह कि **गुलाबचन्द पुत्र स्व0 बाबूराम,** निवासी ग्राम–महिमापुर, पोस्ट– जलालपुर, तहसील– केराकत जनपद–जौनपुर इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है, जो दिनांक **22.02.2020** को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, अध्यात्मिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक लोगो के उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जाएगा क्योकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रु0 5000/ (पांच हजार रु0 मात्र) की राशि है। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों मे दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनो को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यायकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकुल 5000 (पांच हजार रू0 मात्र) की देने की इच्छा करते है।

मै गुलाबचन्द संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी – जनहित एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट

गुलाबचन्द

9627 22-2-20 50

मुन्नालाल ... पुत्र/पत्नी स्व० बाबूराम

मोहदापुर ... परगना जलालपुर ... तहसील केराकत

जिला जौनपुर

रामचन्द्र मिश्र

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 216155

की स्थापना करते है। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन कार्य प्रणाली उदेश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमो उपबन्धो के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत् है—

ट्रस्ट का नाम— **जनहित एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट**

ट्रस्ट का पता— ग्राम—आराजी बाबूपुर, टी0बी0 हास्पिटल रोड
पोस्ट—कचहरी
थाना—लाइन बाजार
तहसील—सदर
जिला—जौनपुर

मुख्यालय— पंजीकृत कार्यालय **आराजीबाबूपुर, टी0बी0 हास्पिटल रोड, सदर, जौनपुर (उ0प्र0)—222002** जिसे आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है। उपरोक्त ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये है।

1. गुलाबचन्द पुत्र स्व0 बाबूराम ग्राम— महिमापुर, पोस्ट— जलालपुर, तहसील— केराकत, जनपद—जौनपुर। — **मुख्य संस्थापक (ट्रस्टी)**
2. बीना देवी पत्नी सतीश कुमार आराजी बाबूपुर, टी0बी0 हास्पिटल रोड, सदर, जनपद—जौनपुर — सदस्य
3. सुरेश कुमार पुत्र गुलाबचन्द ग्राम— महिमापुर, पोस्ट— जलालपुर, तहसील— केराकत, जनपद—जौनपुर। — सदस्य

गुलाबचन्द 2

5628 22.2-202020 50

सा०न० 5627 राजनाथ सिंह

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

आवेदन सं०: 202000984002050

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 59	वर्ष: 2020

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री गुलाबचन्द ,
पुत्र श्री स्व० बाबूराम
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: महिमापुर जलालपुर केराकत जौनपुर

गुलाबचन्द

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/02/2020 एवं 02:27:34 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र मोहन चतुर्वेदी (प्र
उप निबंधक :सदर
जौनपुर
22/02/2020

अंकित श्रीवास्तव ,
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 216156

4. नीलम देवी पत्नी सुरेश कुमार ग्राम– महिमापुर, पोस्ट– जलालपुर, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर। – सदस्य

5. रमेश कुमार पुत्र त्रिभुवनराम ग्राम–महिमापुर, पोस्ट–जलालपुर, तहसील–केराकत, जनपद–जौनपुर – सदस्य

ट्रस्ट का नाम– जनहित एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता– आराजी बाबूपुर, टी0बी0 हास्पिटल रोड, सदर, जौनपुर (उ0प्र0)–222002

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत

जनहित एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्यों एवं नियमावली :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1.बिना लिंगभेद किये हुए सबके लिए भिन्न–भिन्न स्थान पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू/फारसी एवं अन्य माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर जू0हा0 स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज एवं उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, डी0एल0एड0 कालेज, बी0एड0, बी0एल0एड0, डी0एड0 कालेज, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग कालेज, मेडिकल कालेज

गुलाबचन्द

5629 22-2-2020 50

5627 आवेदन सं॰: 202000084002050

वरिष्ठ कोषाधिकारी
17 FEB 2020
जौनपुर

बही सं॰: 4 रजिस्ट्रेशन सं॰: 59 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री गुलाबचन्द, पुत्र श्री स्व॰ बाबूराम
निवासी: महिमापुर जलालपुर केराकत जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार

गुलाबचन्द

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हरी प्रसाद सिंह , पुत्र श्री भद्दर सिंह
निवासी: सुल्तानपुर हवेली सदर जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार हरिप्रसाद सिंह

पहचानकर्ता : 2

श्री संदीप यादव , पुत्र श्री अमरनाथ यादव
निवासी: जमैथा हवेली सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि संदीप यादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी :

चन्द्र मोहन चतुर्वेदी (प्र॰)
उप निबंधक : सदर
जौनपुर

अंकित श्रीवास्तव ,
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 216157

पैरामेडिकल कालेज, महाविद्यालयों ,संस्कृत महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्रो, पर्यावरण , एड्स उत्थान केन्द्रो की स्थापना करना, विकास सम्बद्व आबद्ध , प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों , शासन आदि से उन्हे सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति कराना।

2 महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम एड्स जागरुकता एवं शिविर एवं रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार कराना ।

3. एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना करना तथा इस कालेज के संचालन हेतु मानक के अनुरुप अस्पताल का निर्माण करना तथा उन्हे संचालित करना।

4. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

5. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

6. विभिन्न समितियों का समायोजन/विलय करना एवं उससे संचालित सभी विद्यालय, कालेज, महाविद्यालय अनाथालय आदि कार्यो का संचालन करना।

7. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण , नाबार्ड, कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय , ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यो का संचालन करना।

गुलाबचन्द

5636 22.2.2020

इस प्रपत्र का प्रयोग 50

........................पुत्र, पत्नी ....

.... परगना........................

.... जिला........................

5627

राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

का० स०—58

चा० की अवधि ...

पंचायती ग्राहिका के साथ

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CD 216158

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, प्रबन्धन फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग आपरेटर टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन , फीजियोथरेपी , मेडिकल कालेज की स्थापना एवं संचालन करना।

9 विधि महाविद्यालय एवं विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालित करना।

10 न्यास के उद्देश्यो के अनुसार बिना लाभ अर्जित करते हुए छात्रावास, प्रेक्षागृह, म्यूजियम, जिमनेजियम, आडिटोरियम व स्टेडियम का निर्माण करना।

11. ट्रस्ट सरकारी/अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज(पटटा) पर देना।

12. पुस्तकालय , वाचनालय , पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13 अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगो के लिए शिक्षा ,चिकित्सा ,आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना व विद्यालय संचालित करना व उनके पुर्नवास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।

14 विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक , वैज्ञानिक क्रीड़ा मार्शल आर्ट,संगीत, तकनीकी ,सामाजिक, आधुनिक भाषा ,उर्दू,अंग्रेजी कम्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्धन करना।

गुलाबचन्द

5631 22.2.2020 50

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...

पुत्र, पत्नी ...

परगना ...

जिला ...

5627

राजाराम सिंह
राधवचन्द्र मिश्र
स्टाम्प वेण्डर
लाइसेंस की अवधि ...
रजिस्ट्री आफिस के सामने

वरिष्ठ कोषाधिकारी
17 FEB 2020
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CD 216159

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्धन करना।
16. जाति, धर्म समुदाय, वर्ग या लिंग का भेद-भाव किये बिना निर्धन जरुरतमन्द योग्य छात्रों को उनकी फीस पर छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि सहायता करना।
17. साहित्यिक पुस्तकों ,पत्रों, पाठ्यक्रमों, आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कार्य कर सकना।
18 सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगितायें बैठकों ,विशेष कक्षायें, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।
19 सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
20. व्यक्ति विशेष , ट्रस्ट एवं अल्पसंख्यक ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेज, एवं अन्य संस्थानों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित करना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय ,अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों संस्थानों तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग/चन्दा प्राप्त कर सकना तथा ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना।
22. समाज में व्याप्त बिमारियो जैसे- कैन्सर, एड्स, टी0बी, पोलियो, कुपोषण, मलेरिया, टाईफाइड, हृदय एवं मधुमेय रोग, तपेदिक, कुष्ठ रोग, हैपीटाइटिस बी0 व संक्रमक

गुलाबचन्द

5632 22.2.2020 50

क्रय करने का प्रयोजन

पुत्र, पत्नी

परगना

जिला

5627

राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

ला० की अवधि

रजिस्ट्री आफिस के सामने

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

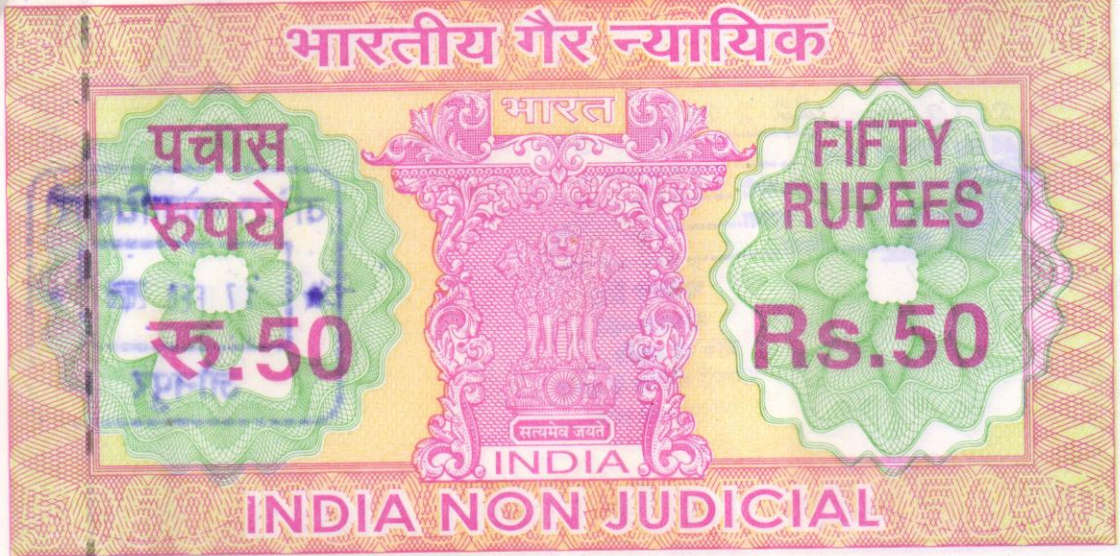

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CD 216160

बिमारियों एवं मानव स्वास्थ्य से सम्बन्धित बिमारियों से बचाने हेतु प्रचार-प्रसार करना।

23. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाए कर सकना।

24. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वो के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

25. विभिन्न संस्थाओ/विद्यालयो/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजों के विशेषाधिकार प्रदान करना एवं संचालित करना।

26. निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

27. महिलाओ के सर्वांगीण विकास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण, लघु ग्राम उद्योग, गृह उद्योग की स्थापना करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना।

28. गरीब, अनाथ एवं असहाय युवा/युवतियो के विवाह कार्यक्रम कराना।

29. पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रदूशण नियंत्रण के प्रति लोगो में जागरुकता पैदा कराना एवं बृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करना, बृक्षारोपण कराना।

30. जल संरक्षण, गंगा प्रदूशण के प्रति लोगो में जागरुकता पैदा करना तथा गंगा प्रदूशण रोकने के लिए शिविर लगाना, सफाई कार्यक्रम कराना।

गुलाबचन्द

5633 22.2.2020 50

क्रय करने का प्रयोजन

पुत्र, पत्नी

परगना

जिला

5627 राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

ला० नं० —58

ला० की अवधि

रजिस्ट्री आफिस के सामने

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 216161

2. प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री **गुलाबचन्द पुत्र स्व0 बाबूराम** को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, जब तक वह जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। ट्रस्टी के बाद ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र/पुत्रबधू/पुत्री क्रमशः जो भी संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेगें। इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी की वंशावली मे से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मानय होगा।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है।

3– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता हैं।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त कियें गयें हो।

गुलाबचन्द

5634 22-2-2020 50

स्टाम्प खरीदने का प्रयोजन ....

...............................पुत्र, पत्नी ....

...............................परगना...............................

...............................जिला...............................

5627 राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

ला० नं०—58

ला० की अवधि ......

रजिस्ट्री आफिस के सामने

दीवानी कचहरी जौनपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 216162

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रुप से मान्य होगी।
5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

4– <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u>

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 11 सदस्य होगें।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बतायें ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक द्वारा

गुलाबचन्द

5635 22.2.2020 56

क्रय करने का प्रयोजन ....

..........पुत्र, पत्नी ....

..........परगना..........

..........जिला..........

राजनाथ सिंह

5627

ला० की अवधि ......

रजिस्ट्री आफिस के सामने

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 FEB 2020

जौनपुर

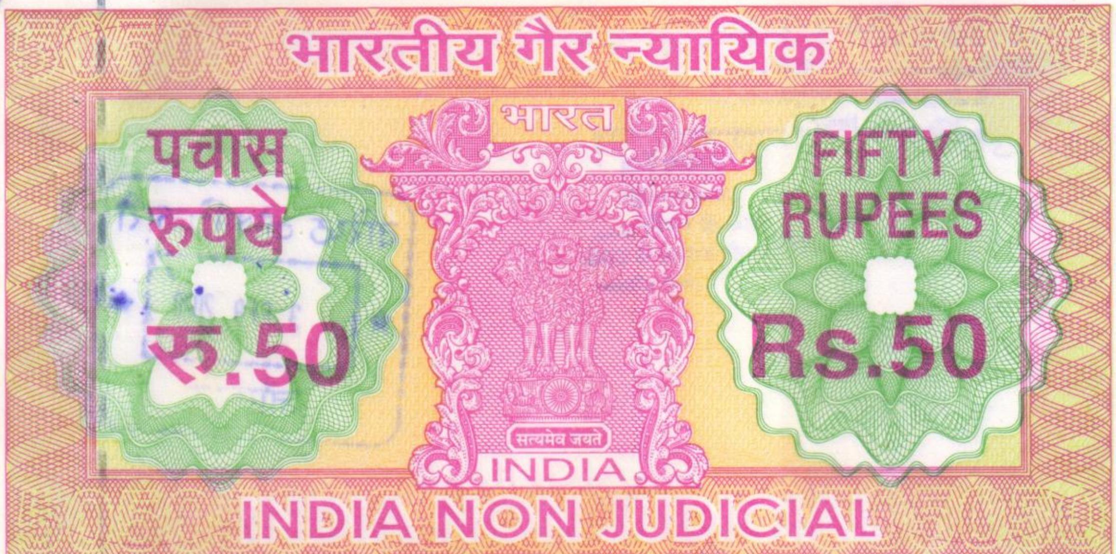

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 193495

निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधायें :–

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/मानदेय भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

6– कार्यक्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

गुलाबचन्द

5636 22.2.2020 50

......पुत्र, पत्नी ......

......परगना......

......जिला......

5627

सजनाथ/मैद

वरिष्ठ कोषाधिकारी

3 FEB 2020

जौनपुर

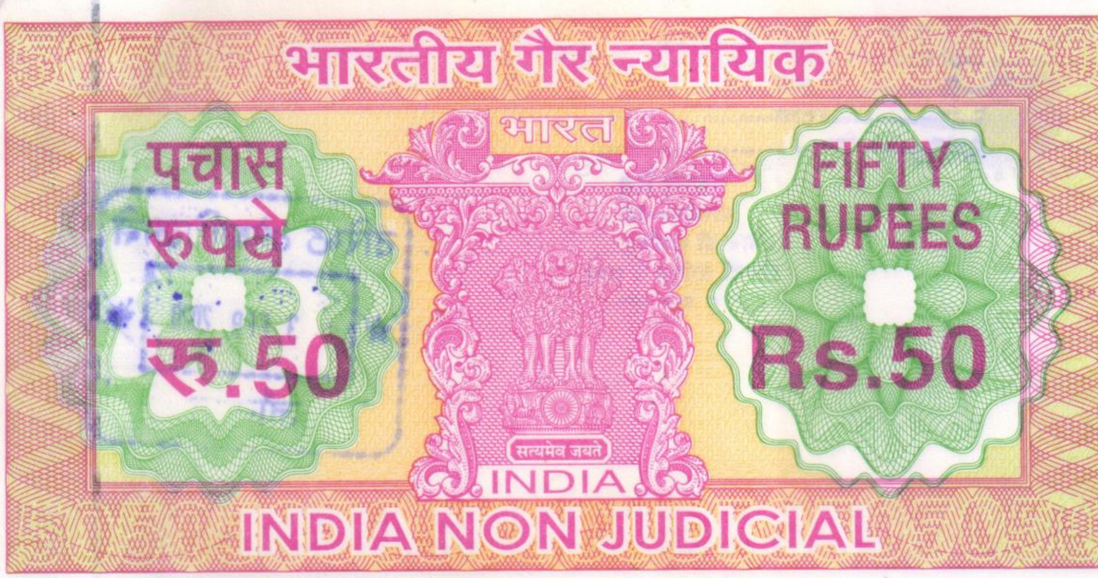

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CD 193496

8– उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष देखभाल एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा। अधिक
2. यह कि सचिव के वेतन भत्ते सुविधाये कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित कियें जाएगें।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्व प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9– सचिव की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित कियें जायेगें।
3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें।

गुलाबचन्द

5637 22.2.2020 50

...पुत्र, पत्नी ...

...परगना...

...जिला...

5627

राजनाथ सिंह

वरिष्ठ कोषाधिकारी

3 FEB 2020

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 193497

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्व प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है

10– **ट्रस्ट की सदस्यता :–**

ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से 51 हजार रु0 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकेगा। यह संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नही होगां तथा इस ट्रंस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होगे। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से 51000/ रु0 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबंधक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी होगा।

11– **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगें।

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

गुलाबचन्द

5838 22.2.2020 50

5627

रघुनाथ सिंह

वरिष्ठ कोषाधिकारी

3 FEB 2020

औरैया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 193498

2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

12— बैंक एकाउन्ट :—

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दियें गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय,संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

13. विधिक कार्यवाही

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

14— सम्पत्ति सम्बन्धी

गुलाबचन्द

5639 22.2.2020 50

[redacted] .... धरणपा ....

[redacted] .... जिला ....

5627

राजनाथ सिंह

[illegible]

वरिष्ठ कोषाधिकारी

3 FEB 2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 193499

1. ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।

2. ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, अरग्रह भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय प्राप्त कर सकता है अथवा देख सकता है।

4. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना के धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

5. चल– अचल सम्पत्ति का क्रय व विक्रय का अधिकार होगा।

6. संस्था द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित, स्वीकृत, आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए गए है। उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

वर्तमान समय में ट्रस्ट के नाम चल-अचल सम्पत्ति नहीं है

गुलाबचन्द

5640 22.2.2020 50

5627 राजनाथ सिंह

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★ 3 FEB 2020 ★

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 193500

मसविदाकर्ता-हरिप्रसाद सिंह
वं० न० सदर जौनपुर
दि० 22.2.2021

साक्षीगण–

1. नाम– हरिप्रसाद सिंह
पुत्र भद्दर सिंह
पता– सुल्तानपुर
पो० हवेली
त० सदर जौनपुर

(गुलाबचन्द)
ट्रस्टी / अध्यक्ष
जनहित एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट
आराजी बाबूपुर, टी०बी० हास्पिटल रोड,
सदर, जौनपुर

2. नाम– संदीप यादव
पता– S/O श्री अमरनाथ यादव
दिनांक– जमैथा त० सदर
जौनपुर

गुलाबचन्द

5651 22.2.2020 50

राजनाथ सिंह

5627

आवेदन सं०: 202000984002050

वरिष्ठ कोषाधिकारी

3 FEB 2020

जौ...

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 157 के पृष्ठ 189 से 218 तक क्रमांक 59 पर दिनाँक 22/02/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र मोहन चतुर्वेदी (प्र०)
उप निबंधक : सदर
जौनपुर
22/02/2020

प्रिंट करें